ग्राम पंचायत जजरी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग- एक

1 प्रस्तावना:

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जजरी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(क) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :

प्रधान:

क्र० सं	नाम	अवधि
1	श्री रजिन्दर सिंह	01/04/2014 से 22/01/2016
2	श्रीमति संतोष डोगरा	23/01/2016 से लगातार।

सचिव:

क्र० सं	नाम	आवधि
1	श्री राम पाल	01/04/2014 से 31/03/2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:

ग्राम पंचायत जजरी, विकास खण्ड बिझडी, के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	9	अनुदान का उपयोग न करना।	20.80
2	11	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.38

3	12	शादी की पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूली।	0.05
4	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	2.17

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:**

ग्राम पंचायत जजरी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विद्या सागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14/12/2017 से 20/12/2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

अवधि	**आय**	**व्यय**
2014-15	10/2014	02/2015
2015-16	02/2016	07/2015
2017-17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:**

ग्राम जजरी, विकास खण्ड बिझडी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009"** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD/HMR/2017/585 दिनांक 20/12/2017 के द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जजरी से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट संख्या 221096 दिनांक 26/12/2017 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गयाI

4 **वितीय स्थिति:**

ग्राम पंचायत जजरी, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/14 से 31/03/17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:

(1) स्व स्त्रौत:- ग्राम पंचायत जजरी, के अवधि 01/04/14 से 31/03/17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	85717.75	125279.00	210996.75	14228.50	196768.25
2015-16	196768.25	13999.00	210767.25	19224.00	191543.25
2016-17	191543.25	44406.00	235949.25	20953.00	214996.25

(2) अनुदान:

ग्राम पंचायत जजरी, के अवधि 01/04/14 से 31/03/17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	243766.30	1312467.00	1556233.30	1166803.40	389429.90
2015-16	389429.90	1920235.70	2309665.60	1835424.68	474240.92
2016-17	474240.92	2919550.00	3393790.92	1313896.93	2079894.00

5 **बैंक समाधान विवरणी:**

स्व स्त्रौत:

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹214996.25

अनुदान:

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष: ₹2079894.00

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ वहियों में

दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष: ₹2294890.25

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष: **₹2293479.00**

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (GEN-A): ₹532.25

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (13th FC): ₹109.00

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि (IWMP-IV): ₹770.00

कुल योग: **₹2294890.25**

अन्तर की राशि: ₹0

क्रमांक संख्या	रोकड़ बही	बैंक	बैंक खाता संख्या:	राशि

1	GEN-A	KCCB	16121	3190
2	GEN-A	KCCB	39869	2966
3	GEN-A	KCCB	40003	11367
4	GEN-A	KCCB	92547	279
5	GEN-A	KCCB	6054	74819
6	GEN-A	KCCB	39359	26701
7	GEN-A	HGB	2802	3813
8	GEN-A	KCCB	66110	91329
10	GCB	HGB	02802	436945
11	13th FC	PNB	41833	1303782
12	IWMP-IV	HGB	4572	331337
13	IWMP-IV	HGB	8392	6951
14	MNREGA	PNB	23366	0
	कुल राशि			**₹2293479**

6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना:

अंकेक्षण के दौरान संबन्धित अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्था के पास हमेशा कम से कम ₹1000 से अधिक हस्तगत के रूप में रहा जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाये ।

7 पंचायत निधि (खाता–क) को विभिन्न आठ बैंको में खाते खोलना:–

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायत निधि के विभिन्न बैंकों में खाता-क के आठ बैंक खाते खोले गए थे जोकि आपत्तिजनक है जिसका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1 व 2) के दृष्टिगत उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अब उपरोक्त नियमानुसार तुरंत प्रभाव से पंचायत निधि की अतिरिक्त बैंक खातों को बंद किया जाए तथा इन अतिरिक्त बैंक खातों में जमा राशि को

पंचायत निधि खाता-क के एक खाते में हस्तांतरित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत कराया जाए।

8 निवेश:

पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में अधिक मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 अनुदान ₹20.80 लाख का उपयोग न करना:

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2079894.00 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11. पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख की वसूली हेतु शेष:

अंकेक्षण में पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31/03/17 को गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹37980 शेष थी जोकि आपत्तिजनक है। अतः राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से करनी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) गृहकर

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की मांग (₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2014-15	9495	9495	18990	0	18990
2015-16	18990	9495	28485	0	28485
2016-17	28485	9495	37980	0	37980

(ii) भू-राजस्व

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भू-राजस्व की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई और न ही भू-राजस्व को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई व प्रयास किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट करें। अतः अब बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

12 शादी की पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.05 लाख की कम वसूली:

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या: PCH-HA(1) 8/2013-Marriage 8017-8106 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50/-) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि मास 11/2016 से 03/2017 तक कुल ₹4650 का पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किए गए थे जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2** में दिया गया है अतः कम वसूली गई राशि का औचित्य स्पष्ट करें तथा इस राशि को अब उचित स्त्रोत से वसूल करके पंचायत की निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्यों में परिमाप राशि से ₹145 का अनियमित रूप से अधिक भुगतान:

अंकेक्षण में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग के निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य में

स्वीकृत राशि व परिमाप राशि से ₹145 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। स्वीकृत राशि व परिमाप राशि से अधिक राशि का भुगतान करना आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को दंडनीय ब्याज सहित रसीद बुक संख्या: 29 की रसीद संख्या: 236607 दिनांक 19/12/2017 के द्वारा वसूल करके 13वें वित्त आयोग निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु आवश्यक कारगर पग उठाए जाएं।

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि ₹	परिमाप राशि (Assessment Value)	कार्य पर कुल व्यय ₹	अनियमित भुगतान ₹	माप पुस्तिका /पृष्ठ
% Nali from Sarwan House towards Nala Ward-2	80000	80016	80145	145	3717/172

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.17 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹216672 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र.स.	वाउचर संख्या:	मास	सामग्री का विवरण	राशि ₹
1	43(GCB)	2/2015	रेता,बजरी,बौल्डर आदि	21200
2	16(GCB)	7/2015	सरिया	1440

3	23(GCB)	7/2015	पेंटिंग	3000
4	38(GCB)	10/2015	सरिया का जाला	12456
5	5(IWMP)	5/2015	सरिया	5964
6	8(IWMP)	7/2015	पीवीसी पाइप	7035
7	13(TFC)	7/2015	स्टारिंग	3990
8	22(GCB)	8/2015	डस्ट्बिन	106925
9	28(GCB)	12/2014	टाइल्स	30462
10	14(TFC)	7/2015	रेता,बजरी,बौल्डर आदि	24200
		कुल राशि		**₹216672**

15. बिना भुगतान आदेश के बिलों का भुगतान करनाः

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नही किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है और सभी बिलों को केबल पंचायत प्रधान के हस्ताक्षरों से ही पारित किया गया है न कि उपरोक्त नियमानुसार प्रधान तथा सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से पारित किया गया। इस के अतिरिक्त बहुत से बिलों का भुगतान बिना भुगतान आदेश पारित किए ही किया गया है। अतः उपरोक्त नियम के अनुसार कारवाई न करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इस में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 ₹511 का अधिक भुगतानः

(1) संस्था ने वाउचर संख्या: 36 दिनांक 22/03/2017 के द्वारा ₹505 की बिजली के बिल की अदायगी दर्शायी गई जबकी अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया कि बिल की केवल ₹354 थी इस प्रकार ₹151 का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को रसीद बुक संख्या: 30 की रसीद संख्या: 236708 दिनांक 19/12/2017 के द्वारा वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी

सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की चूक को रोकने हेतु कारगर पग उठाए जाएं।

(2) अंकेक्षण में पाया कि संस्था द्वारा निर्माण सामग्री के क्रय हेतु बोल्डर की दर ₹22 प्रति क्यूबिक फीट अनुमोदित की गई थी, लेकिन चयनित मासों के व्यय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर किया गया था जिसके परिणामस्वरुप ₹360 का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है। अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति उठाने पर इस राशि को रसीद बुक संख्या: 30 की रसीद संख्या: 236707 दिनांक 19/12/2017 के द्वारा वसूल करके पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया जिसकी सत्यापना अंकेक्षण के द्वारा स्थल पर ही कर दी गई। भविष्य में इस प्रकार की पुनःवृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। चयनित मास के अतिरिक्त अन्य मासों में अधिक दरों पर क्रय करने के कारण पंचायत को हुई हानि की गणना अपने स्तर पर करके उसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें।

क्र॰सं॰	**वाउचर संख्या/दिनांक**	**मात्रा क्यूबिक फीट**	**भुगतान दर ₹**	**अनुमोदित दर ₹**	**अधिक भुगतान ₹**
1	62/18.3.17	60	25	22	180
2	63/18.3.17	60	25	22	180
				कुल राशि	360

17 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का अधूरा रख रखावः

सरकार द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई सामान के रूप मे अलग-अलग स्टॉक रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टरों का रख रखाव तो किया जा रहा है परन्तु उसमें सम्पूर्ण विवरण जैसे सामग्री का मूल्य, आपूर्तिकर्ता का नाम व पता, वस्तु की मात्रा तथा उस से सम्बन्धित गारन्टी इत्यादि को दर्ज नहीं किया जाता है। सामग्री की शेष मात्रा का प्रगतिशील योग भी नहीं किया गया है। अतः भविष्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग-अलग स्थाई व अस्थाई स्टाक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग-

अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेष सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना ।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

19 प्रत्यक्ष सत्यापन:

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 लघु आपति विवरणिका:- संस्था को लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

21 निष्कर्ष:- संस्था के लेखाओं के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6) 48/2018 खण्ड–1–2929–2932 दिनांक 27.04.20189 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जजरी, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881